

डॉ. एस.एस. सामंत, निदेशक
Dr. S.S. Samant, DSc, FNASc, FSE
Director

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान HIMALAYAN FOREST RESEARCH INSTITUTE

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
(Indian Council of Forestry Research & Education)

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय)
(An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India)

संख्या/ No.: 1-1(123) /हि.व.अ.सं/2021/2008

दिनांक/ Date: 17-11-2021

कार्यालय आदेश संख्या / Office Order No. 102

भारत सरकार द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, 8 नवंबर 2021 से बायोमेट्रिक मशीन में उपस्थिति का अंकन फिर से शुरू कर दिया गया है। इसलिए, सभी अधिकारी एवं कर्मचारी (नियमित या संविदा) संस्थान में स्थापित बायोमेट्रिक मशीन में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।


प्रभाग/शाखा प्रमुख उपरोक्त आदेशों का अक्षरशः क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे तथा अपने-अपने प्रभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करेंगे तथा प्रत्येक माह की 25 तारीख को बायोमेट्रिक मशीनों से उत्पन्न उपस्थिति की रिपोर्ट कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। कार्यालयाध्यक्ष उपस्थिति रिपोर्टों का निरीक्षण करेंगे और उन्हें अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे। उपस्थिति में कमी को गंभीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित कर्मचारी के अवकाश खाते से नियमानुसार अवकाश की कटौती की जाएगी। संबंधित कर्मचारी के अवकाश खाते में अवकाश उपलब्ध न होने की स्थिति में अवकाश नियमों के अनुसार आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, प्रभाग प्रमुख दोपहर 01.00 से 01.30 बजे (दोपहर) तक भोजन-अवकाश का समय भी सुनिश्चित करेंगे। वे अपने-अपने प्रभागों में अनुशासन और कार्य संस्कृति भी सुनिश्चित करेंगे।

As per the Orders passed by the Government of India, the marking of attendance in Biometric Machine has been restarted from 8th November 2021. Therefore, all the staff (regular and contractual including Research Scholars) will mark their attendance in the Biometric Machine.

Head of Divisions/ Branches will ensure implementation of the above orders in letter and spirit and will check the attendance of staff working in their respective Divisions and will put up the attendance report generated from the Biometric Machines, complete in all respects to the Head of Office on 25th of every month. The Head of Office will inspect the reports and put up the same to the undersigned. The shortfall in attendance will be viewed seriously and leaves as per rules may be deducted from the leave account of the concerned employee. In case of non-availability of leave in the leave account of the concerned employee, further necessary action into the matter will be initiated as per leave rules.

In addition to it, the Head of Divisions will also ensure timings of lunch from 01.00 to 01.30 PM. Hed of Divisions will also ensure discipline and work culture in their respective Divisions.


[डॉ. एस.एस. सामंत/ Dr. S.S. Samant]
निदेशक/ Director

कोनिफर कैम्पस, पंथाघाटी, शिमला-171 013, हिमाचल प्रदेश

Conifer Campus, Panthaghati, SHIMLA-171 013, Himachal Pradesh

ई-मेल/ E-Mail: dir_hfri@icfre.org

वेबसाइट/ Website: <http://hfri.icfre.gov.in>

दूरभाष/Phone: 0177-2626778,

FAX/ फ़ैक्स: 0177-2626779,

ई.पी.ए.बी.एक्स./EPABX: 0177-2816101